

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2009/डी- 2455

दिनांक 5/6/09

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 138वीं बैठक दिनांक 01.06.2009 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	138.1	कार्यकारी समिति की 137 वीं बैठक दिनांक 31.03.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सवसम्मति से 137वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव गारित किया गया।	
2	138.2	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 02.04.09 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	अति. आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जारी आदेश दिनांक 02.04.09 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
3	138.3	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या सी-21 एवं सी-22 वैशाली नगर को आवासीय से व्यावसायिक उपान्तरण हेतु जडीए एक्ट की धारा 25(1) की जारी अधिसूचना को भूखण्डधारी द्वारा व्यावसायिक उपान्तरण राशि 2648764/- रूपए प्राधिकरण में जमा नहीं कराने के कारण निरस्त किये जाने बाबत। (गंगासिंह पुत्र जोरावर सिंह)	प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या सी-21 एवं सी-22 वैशाली नगर को आवासीय से व्यावसायिक उपान्तरण हेतु जडीए एक्ट की धारा 25(1) की जारी अधिसूचना को भूखण्डधारी द्वारा व्यावसायिक उपान्तरण राशि 2648764/- रूपए प्राधिकरण में जमा नहीं कराने के कारण पूर्व में जारी 25 (1) की अधिसूचना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-7
4	138.4	भूखण्ड संख्या ए-283, गिरधारीपुरा की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या ए-283, गिरधारीपुरा आवासीय योजना का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-7
5	138.5	आनंद लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-243 के नियमितिकरण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या सी-243, आनंद लोक आवासीय योजना का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12
6	138.6	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 3 के नियमितिकरण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8
7	138.7	फार्म हाउस संख्या 27, एकान्त विहार फार्म हाउस योजना क्षेत्रफल 3587.82 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण बाबत।	प्रस्तावानुसार प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)
8	138.8	फार्म हाउस संख्या 24, एकान्त विहार फार्म हाउस योजना क्षेत्रफल 3587.82 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण बाबत।	प्रस्तावानुसार प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
9	138.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कीलकीपुरा उर्फ विहारीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 31, 31, 50, 51, 52, 33/2, 49/2, 53/2, 54/2 कुल कित्ता 9 रकबा 3.33 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (प्रिंटिंग प्रेस) किये जाने के संबंध में। (कमलकांत शर्मा)	प्रस्तावानुसार ग्राम कीलकीपुरा उर्फ विहारीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 31, 31, 50, 51, 52, 33/2, 49/2, 53/2, 54/2 कुल कित्ता 9 रकबा 3.33 हैक्टर भूमि में से 60 फीट चौड़ी सड़क में आने वाली 714 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 22486 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (प्रिंटिंग प्रेस) किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। टॉक रोड से आवेदित भूमि तक 30 फीट चौड़ी सड़क विद्यमान होने से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या 12 के तहत भू-क्षेत्र हेतु सम्पर्क सड़क 60 फीट चौड़ा होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त बिन्दु सं. 18 घ के अनुसार नगरीकरण सीमा से बाहर के क्षेत्र (परिधीय नियंत्रण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र) जहां निकाय द्वारा ड्राफ्ट सैक्टर प्लान/रोड नेटवर्क प्लान नहीं बनाया गया है, उस पर निकाय स्तर पर रोक लगाई गई है जिसकी अनुमति राज्य सरकार के स्तर पर दी जानी अपेक्षित है एवं 1500 व.ग. से अधिक व्यावसायिक उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)/ जोन-11	
10	138.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कूकस तहसील आमेर के खसरा नं. 189 रकबा 0.57 हैक्टर अर्थात् 5700 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रियेशनल से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (पैलेस इण्डिया लि. जरिये प्रमोटर नरेश सब्बरवाल)	प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम कूकस तहसील आमेर के खसरा नं. 189 रकबा 0.57 हैक्टर अर्थात् 5700 वर्गमीटर भूमि में से प्लान्टेशन कोरीडोर में आ रही 2115 व.मी. भूमि को छोड़ते हुये शेष 2255 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रियेशनल से वाणिज्यिक (होटल) किये का प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या 18 क के अनुसार रिक्रियेशनल (मनोरजन) उपयोग की भूमि उपान्तरण हेतु 90बी(3) की कार्यवाही पर निकाय स्तर पर रोक लगाई गई है जिसकी अनुमति राज्य सरकार के स्तर पर दी जानी अपेक्षित है एवं 1500 व.ग. से अधिक व्यावसायिक उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)/ जोन-12	
11	138.11	Agenda regarding Approval of tender for the work Civil work for beautification of Jawahar Nallah and open air theatre adjoining Smriti Van Area.	प्रस्तावानुसार कार्य के एजेण्डा पर चर्चा की गयी एवं न्यूनतम दर 24.21 प्रतिशत अधिक मैसर्स निरानिया कन्सट्रक्शन कम्पनी की अनुमोदित की गई। सर्वप्रथम जे.एल.एन.मार्ग के साथ स्थित नाले के सौन्दर्यकरण व ओपन एयर थियेटर के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जावे तथा इसके अतिरिक्त अन्य कार्य आयुक्त जविप्रा से पत्रावली पर स्वीकृति प्राप्त कर कराये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer-I	

सदस्य सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 138वीं बैठक दिनांक 01.06.09 को राय: 04.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री उमेश कुमार, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री उमेश कुमार	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री दामोदर शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जयपुर नगर निगम	सदस्य
3	श्री ललित कुमार गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
4	श्री एच.एस. चव्हाण	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री ओ.पी. दोराथा	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री एस.के. पचौली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
9	श्री रामप्रकाश	उपपुलिस अधीक्षक	जयपुर शहर मुख्यालय	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री रामअवतार मीणा	अति. कलेक्टर तृतीय	जिला कलेक्टर	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री देवराज सालको	अधीक्षण अभियन्ता	पी.एच.ई.डी	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्री ए.सी. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता	पी.डब्ल्यू.डी.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
13	श्री एन.एल.मीणा	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्रीमती सीना सिंह	अति.आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति.आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्रीमती सुवि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री मोहन टावरी	एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री सी.एम. अग्रवाल	ओएसडीआरएम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री पोखर मल	उपायुक्त जोन-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री अजय अरुवाल	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री रतन लाल जाजू	सर्किल अभियन्ता-III	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्रीमती संगीता मीणा	तहसीलदार जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव
जयपुर प्रा. जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.) / जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2009 / डी-2455
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 27/10/18

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	सीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पयटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम) / अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व फालगुना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जयपुर, जयपुर